जिला अस्पताल बीकानेर में नए प्रसव कक्ष का लोकार्पण

बीकानेर, (कासं)। लॉयंस क्लब बीकानेर ने सामाजिक सरोकार करते हुए एसडीएम जिला अस्पताल बीकानेर के नए प्रसूति कक्ष को सुसज्जित करवाते हुए उपकरण भेंट किए हैं।

इस नवीन सुसज्जित लेबर रूम का लोकार्पण प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉ सुरेन्द्र कुमार वर्मा एवं पूर्व प्रांतपाल प्रोफेसर लॉयन सुमेर चंद जैन ने किया। इस मौके पर प्राचार्य डॉ सुरेन्द्र कुमार ने जिला अस्पताल में दानदाताओं और भामाशाहों के द्वारा किए जा रहे सहयोग को सराहा और लॉयंस क्लब की पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया। लॉयंस क्लब बीकानेर की टीम द्वारा प्राचार्य डॉ सुरेन्द्र कुमार एवं अधीक्षक डॉ सुनील हर्ष का अभिनंदन किया गया।

■ **दानदाताओं और भामाशाहों के द्वारा किए जा रहे सहयोग को सराहा और लॉयंस क्लब की पूरी टीम को धन्यवाद दिया**

अधीक्षक डॉ सुनील हर्ष ने बताया कि एसडीएम जिला अस्पताल में पिछले एक साल में सामान्य और सिजेरियन प्रसवों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है जिससे वर्तमान में संचालित लेबर रूम छोटा पड़ रहा था। वर्तमान में प्रतिमाह डेढ सौ के करीब प्रसव जिला अस्पताल में करवाए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए लॉयंस क्लब से जुड़े दानदाताओं को नए लेबर रूम की व्यवस्था के लिए प्रेरित किया गया। जिससे प्रेरित होकर लॉयंस क्लब के संरक्षक एमजेएफ लॉयन रामदेव राठी, पूर्व अध्यक्ष लॉयन अशोक बंसल एवं वर्तमान अध्यक्ष लॉयन राजेश मिड्ढा आदि ने संज्ञान लेते हुए पांच लेबर टेबल की क्षमता वाले लेबर रूम को उपकरणों से सुसज्जित करवाने का संकल्प लिया। इससे अस्पताल की प्रसव करवाने की क्षमताओं में दोगुना इजाफा होगा और क्षेत्र की प्रसूताओं को तुरंत लाभ मिल पायेगा। यह जिला अस्पताल बीकानेर शहरी क्षेत्र के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध करवाता है जो कि सरकारी संस्थानों में पीबीएम अस्पताल के बाद दूसरे नंबर पर आता है। मौके पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विभागाध्यक्ष डॉ राजश्री चालिया ने प्राचार्य डॉ सुरेन्द्र कुमार को जिला अस्पताल में संस्थागत प्रसवों में हो रही वृद्धि से अवगत करवाते हुए आपातकालीन स्थिति में सिजेरियन प्रसव की सुविधा बढाने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की मांग की।

जिस पर प्राचार्य ने जल्दी ही अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में वर्तमान में तीन पूर्णकालिक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं। जिससे स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में आने वाली प्रसूताओं को इसका लाभ मिल रहा है।

एसडीएम जिला अस्पताल बीकानेर में नए प्रसव कक्ष का लोकार्पण करते मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेन्द्र कुमार वर्मा व प्रो. सुमेरचंद जैन ने किया।

ग्राम पंचायतों में खुलेंगे अटल ज्ञान केन्द्र

पूगल, (कासं)। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। इन सेंटरों का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को डिजिटल एजुकेशन, कॉम्पीटिटिव एग्जाम की तैयारी और करियर एडवाइज जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करना है।

इन सेंटरों की स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। पहले चरण में 3000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिकता दी गई है। अब तक 1274 केन्द्रो की पहचान कर ली गई है और उनके लिए वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। इस चरण के बाद राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को इन सेंटरों के दायरे में लाया जायेगा।

अटल ज्ञान सेंटरों को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार का भी महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है। पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत राजस्थान के लिए 1047 पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) स्वीकृत किए गए हैं। 232 करोड़ रूपए से अधिक की यह सहायता इन सेंटरों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, डिजिटल सुविधाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करेगी। इन सेंटरों पर मॉडर्न कंप्यूटर लैब, ई-लाइब्रेरी, किताबें, इंटरनेट कनेक्टिविटी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए जायेंगे।

कलश यात्रा के साथ भागवत कथा शुरू

नोखा, (कासं)। बाबा छोटूनाथ स्कूल ग्राउंड में श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया। धार्मिक उत्साह और भक्ति भाव के बीच शुरू हुए इस आयोजन में पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचे। महोत्सव का आयोजन 10 से 16 दिसम्बर तक किया जायेगा। जबकि 17 दिसम्बर को हवन एवं प्रसादी के साथ पूर्णाहुति होगी।

कथा प्रारंभ से पूर्व सुबह 9:15 बजे श्री कृष्ण मंदिर, सदर बाजार से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में महिलाएं, युवक और वरिष्ठजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। मुख्य यजमान रामलाल सोनी सपत्नीक ने भागवत की विधिवत पूजा-अर्चना कर आयोजन की औपचारिक शुरूआत कराई। कलश यात्रा कथा स्थल पहुंचकर संपन्न हुई जहां श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों व जयकारों के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

प्रथम दिवस कथा व्यास पंडित केदारप्रसाद जोशी शास्त्राचार्य (नापासर) ने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की महिमा पर आधारित श्रीमद्भागवत कथा का सजीव वर्णन किया। उनकी मधुर वाणी और भावपूर्ण वाचन से पंडाल में श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे। संगीतमय कथा का आयोजन दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक चला। यह धार्मिक अनुष्ठान स्व. आसुराम एवं स्व. रतनी देवी, स्व. पूनमचन्द बुटण तथा ात्यनारायण बुटण की पुण्य स्मृति में आयोजित किया जा रहा है।

सार-समाचार

दिल्ली महारैली की तैयारी बैठक

बीकानेर, (कासं)। जिला कांग्रेस कमेटी देहात, बीकानेर द्वारा रानी बाजार स्थित कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 'वोट चोर-गद्दी छोड़' अभियान को लेकर आगामी 14 दिसम्बर को दिल्ली में आयोजित होने वाले महारैली की तैयारियों को लेकर जिलाध्यक्ष बिशनाराम सियाग की अध्यक्षता में ब्लाकों में नियुक्त प्रभारियों की मीटिंग ली। खाजूवाला-श्यामसिंह भाटी, कोलायत-श्रवण मदेरणा, गुमानाराम जाखड़, लूणकरनसर-पृथ्वीराज कूकणा, श्रीडूंगरगढ़-शिव ओमप्रकाश गोदारा, नोखा-प्रेमप्रकाश सारण, श्रीडूंगरगढ- डॉ. प्रीति मेघवाल, सूडसर- महिपाल सारस्वत, खाजूवाला-रामदयाल बेनीवाल, छतरगढ़-लक्ष्मण गोदारा, कोलायत- राजूराम मेहरड़ा, बज्जू- कन्हैयालाल जोशी, नोखा शहर-ख्यालीराम सुथार, नोखा ग्रामीण-जहूरदीन, लूणकरनसर- एडवोकेट नन्दराम कासनिया, नापासर-मूरली गोदारा आदि ने अपने-अपने प्रभार क्षेत्र की जिलाध्यक्ष बिशनाराम सियाग को संबंधित क्षेत्र से दिल्ली जाने वाले पदाधिकारीगण सहित कांग्रेसजनों की नाम नम्बर सहित सूची, गाड़ियों के नम्बर, ड्राईवर के नम्बर, ट्रेन व बस से जाने वालों के टिकट सहित सूचियां सौंपी।

दीपक शर्मा को पीएचडी उपाधि

बीकानेर, (कासं)। ई.सी.बी. के शोधार्थी दीपक शर्मा को बीकानेर टैक्नीकल यूनिवर्सिटी ने उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए पी.एच.डी. की उपाधि प्रदान की। दीपक शर्मा ने राजस्थान की सिरेमिक उद्योगों में लीन तथा ग्रीन लीन सिक्स सिग्मा तकनीकों के माध्यम से अपशिष्ट में कमी द्वारा प्रक्रिया सुधार विषय पर शोध कार्य मैकेनिकल विभाग के सहायक आचार्य डॉ. धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में पूरा किया।

आम सूचना

अजय सिंह पुत्र श्री कुशल सिंह राजपूत उम्र 76 साल निवासी पता-नगर निगम के सामने, बीकानेर जोकि मेरा पुत्र मोहित सिंह है व उनकी पत्नि पुष्पा कंवर पुत्रवधु है। जोकि मेरे कहने सुनने में नही है। तथा हमारी आज्ञा का पालन नही करते है, इसलिए मैं मिकर अपने पुत्र मोहित सिंह व उसकी पत्नि पुष्पा कंवर को मेरी चल-अचल संपति से बेदखल करता हूं। मेरा मोहित सिंह व उसकी पत्नि पुष्पा कंवर से कोई सम्बन्ध नही रहा है। मैं मिकर अपने पुत्र मोहित सिंह उसकी पत्नि पुष्पा कंवर से कोई सम्बन्ध नही है सम्बन्ध विच्छेद करता हूं अतः कोई भी व्यक्ति मेरे पुत्र मोहित सिंह व उसकी पत्नि पुष्पा कंवर से संव्यवहार या लेन-देन करता है तो उसकी तमाम प्रकार की जिम्मेदारी संव्यवहार करने वालों की होगी व रहेगी मेरी कोई जिम्मेदारी नही होगी।

दिनांक10.12.2025 भवदीय

अजय सिंह पुत्र श्री कुशल सिंह जाति राठौड़ राजपुत निवासी नगर निगम के सामने, राजीयासर हाऊस बीकानेर

छह करोड़ खर्च करने के बाद भी नाले ओवरफ्लो

बीकानेर, (कासं)। नगर निगम की हेल्थ शाखा अपना सिरदर्द दूर करने के लिए सीधे निर्माण शाखा पर मामला थोप देती है। हेल्थ शाखा नाला-नालियों की सफाई तो नियमित नहीं कराती मगर पानी भरने के बाद सीधे चैम्बर तोड़ देती है या क्रॉस। यही हेल्थ शाखा के कारण ही निगम को हर साल 5 करोड़ तक के नाले साफ कराने पड़ते हैं।

बीते मानसून में निगम ने 6 करोड़ के टेंडर लगाए, जिसमें अभी भी 44 लाख का काम बाकी है। क्योंकि उसका टेंडर नहीं हो पाया था। वो नाला चौखुंटी के पास वाला है। सूरसागर के किनारे नाला पूरी तरह आज नहीं सालों से जाम है। हेल्थ शाखा इसकी सफाई नहीं कराती। हर इंस्पेक्टर के पास जेसीबी है। निगम में जेसीबी की लाइन लगी है मगर इंस्पेक्टर सिर्फ अपना सिरदर्द दूर करने के लिए जलभराव की स्थिति में निर्माण शाखा का खर्चा बढ़ाती है।

■ **सूरसागर के किनारे नाला पूरी तरह आज नहीं सालों से जाम है**

क्रॉस तोड़ने के बाद उसके निर्माण का खर्चा निर्माण शाखा को भुगतना पड़ता है। सवाल ये है कि आखिर जेसीबी का इतना बड़ा जमावड़ा करता क्या है। नालों की नियमित सफाई क्यों नहीं होती है। वो तो शुक्र है कि बड़े अधिकारी नियमित चैकिंग नहीं करते वरना हेल्थ शाखा के कारनामे सामने आ जाएं। निगम की दीवार से सटा नाला बीते 2 महीने से उफान मार रहा है। पॉलिथीन से अटा पड़ा है मगर सफाई के नाम कुछ नहीं। निगम आयुक्त या उपायुक्त पैदल ही इसका निरीक्षण कर लें तो हकीकत सामने आ जायेगी।

सूरसागर के पास दो दिन पहले पाइप लाइन टूटी तो पूरी सड़क जलमग्न हो गई। पानी नहीं निकला। किसी ने समस्या का मूल समाधान नहीं खोजा। सीधे क्रॉस तोड़ दिया। क्रॉस से भी पानी नहीं निकला मगर जैसे ही नाले से दो-दो फीट सिल्ट निकाली पानी निकल गया। नगर निगम पेट्रोल पंप के पीछे नाला जाम था। सभी ने कहा कि सड़क के नीचे क्रॉस तोड़ दो वरना पानी ओवरफ्लो होता रहेगा। तब क्रॉस तोड़ने ही वाले थे उससे पहले नाले की सफाई कराकर देखी तो तुरंत पानी निकल गया।

बीकानेर शहर में नालों को पाटने की परंपरा चल गई। यही परंपरा अब सिरदर्द बन गई। नाले पाटने के बाद कुछ दूरी पर चैम्बर बनाए जाते हैं। सफाई इन चैम्बरों को खोलकर उसी 8 वर्गफीट इलाके की होती है। जबकि सिल्ट तो पटान के नीचे जमी होती है।

मयंक मनीष, कमिश्नर नगर निगम का कहना है कि समस्या वहां ज्यादा होती है जहां नाले पटे हुए हैं। पटे नालों के नीचे सफाई का अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं मिला। जेटिंग से कराने की कोशिश करते हैं। नियमित सफाई को मैं और मजबूत कराऊंगा।

केसीसी लोन जमा नहीं कराने पर सिविल जेल

बीकानेर, (कासं)। बैंक से लोन लेकर बकाया जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ इन दिनों वाणिज्यिक न्यायालय काफी सख्त कार्रवाई कर रहा है। एक देनदार पर बकाया करीब साढ़े ग्यारह लाख रूपए जमा नहीं कराने पर जेल भेजने के आदेश दिए।

वाणिज्यिक न्यायालय बीकानेर के न्यायाधीश विनोद कुमार सोनी ने एसबीआई गिरिराजसर से जुड़े एक प्रकरण में ये आदेश दिया है। केसीसी ऋण का भुगतान नहीं करने पर न्यायालय ने गिरिराजसर निवासी जेठाराम नायक को निष्पादन कार्रवाई के तहत ऋण राशि का पूर्ण भुगतान होने तक सिविल जेल भेजने के निर्देश दिए। यह कार्रवाई शाखा प्रबंधक चंद्रपाल सिंह तथा सेल आमीन कोलायत राजेन्द्र व्यास द्वारा पूरी की गई। बैंक की ओर से पैरवी कपीश जैन एडवोकेट ने की। कोर्ट के इस निर्णय को बैंक ऋण अदायगी में लापरवाही बरतने वालों के लिए कड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है

सगाई के बाद नाबालिग लड़की ने फांसी लगाई

बीकानेर, (कासं)। सगाई के बाद जल्दी शादी का दबाव बनाने पर एक नाबालिग ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मामले में करीब ढाई महीने बाद पुलिस ने बुधवार को नाबालिग लड़के को पकड़ा है।

मामला बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ थाना इलाके के एक गांव का है। श्रीडूंगरगढ़ थानाधिकारी जितेंद्र कुमार का कहना है कि दोनों नाबालिग एक-दूसरे से प्यार करते थे। परिजनों ने सहमति के बाद दोनों की सगाई कर दी। इसके बाद लड़का जल्दी शादी का दबाव बना रहा था, जिसके कारण नाबालिग लड़की ने सुसाइड कर लिया। मामले में स्पेशल कोर्ट के आदेश पर नाबालिग लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया है।

थानाधिकारी के अनुसार सितम्बर में एक नाबालिग लड़की (16) और नाबालिग लड़का (16) श्रीडूंगरगढ़ के एक गांव से पड़ौसी थे। दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे। इसी कारण दोनों एक बार घर से भी भाग गए थे।

■ **लड़का जल्दी शादी का दबाव बना रहा था, जिसके कारण नाबालिग लड़की ने सुसाइड कर लिया**

हालांकि परिजनों ने दोनों को ढूंढ लिया। घर लाये और परिवारों में सहमति बनने के बाद दोनों की सगाई भी कर दी। इसके बाद शादी को लेकर लड़के ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। लड़की चाहती थी कि अभी शादी नहीं करेंगे। इसके अलावा भी दोनों के बीच कुछ विवाद था। इसके बाद 25 सितम्बर को नाबालिग लड़की ने अपने घर में ही फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। लड़की के पिता का आरोप है कि नाबालिग बेटी पर लड़के ने जल्दी शादी करने का दबाव बनाया था। इसी से परेशान होकर उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : नियमन/2025/4966 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 10-12-2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 6 जैड मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 11 में भूखण्ड संख्या का माप 30'-0'' गुणा 40'-0'' फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री गुरचरण सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह निवासी 05 पुरानी आबादी, वार्ड नं. 09, नजदीक गुरुद्वारा के पास, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री गुरचरण सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह निवासी 05 पुरानी आबादी, वार्ड नं. 09, नजदीक गुरुद्वारा के पास, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 6 जैड मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 11 में भूखण्ड संख्या का माप 30'-0'' गुणा 40'-0'' फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : नियमन/2025/4965 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 10-12-2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 6 जैड मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 2, 3 में भूखण्ड संख्या का माप 27'-6'' गुणा 50'-0'' फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री मनजीत सिंह पुत्र संता सिंह निवासी वार्ड नं. 07, गुरुद्वारा के पीछे गुरुनगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री मनजीत सिंह पुत्र संता सिंह निवासी वार्ड नं. 07, गुरुद्वारा के पीछे गुरुनगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 6 जैड मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 2, 3 में भूखण्ड संख्या का माप 27'-6'' गुणा 50'-0'' फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : नियमन/2025/4950 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 10-12-2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 16 एमएल मुरब्बा नं. 08 के किला नं. 08 में भूखण्ड संख्या ओ-12 का माप 20'-0'' गुणा 50'-0'' फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्रीमती मोनिका पत्नी श्री राकेश धींगड़ा निवासी इन्द्रा कॉलोनी, वार्ड नं. 41, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन/पट्टा सं. 12678 दिनांक 29.11.2021 के द्वारा जारी किया गया था। आवेदक/पट्टाधारक द्वारा उक्त जारी पट्टे को निर्धारित समयावधि में उपपंजीयन कार्यालय से पंजीकृत नहीं करवाया गया। आवेदक द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र उक्त भूखण्ड के जारी पट्टे को नवीनीकरण हेतु निवेदन किया गया है। विभागीय आदेशानुसार 3 वर्ष अवधि के पश्चात पट्टा नवीनीकरण नहीं किया जाकर पुनः नया पट्टा जारी किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/ पट्टे के आधार पर नया पट्टा जारी करने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती मोनिका पत्नी श्री राकेश धींगड़ा निवासी इन्द्रा कॉलोनी, वार्ड नं. 41, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/ जारी पट्टे के आधार पर चक 16 एमएल मुरब्बा नं. 08 के किला नं. 08 में भूखण्ड संख्या ओ-12 का माप 20'-0'' गुणा 50'-0'' फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

गैस सिलेंडर लीकेज होने से चार लोग झुलसे

श्रीगंगानगर, (कासं)। जिले के सादुलशहर में गैस सिलेंडर लीकेज होने से चार लोग झुलस गए। इनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही। हादसा घर में रखे हुए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को घरेलू गैस सिलेंडर में खाली करते समय हुआ।

सादुलशहर के वार्ड नं-19 में मुखराम के घर पर कुछ दिन पहले शादी का कार्यक्रम था। शादी में हलवाईयों के मिठाईयां व खाना बनाने के लिए कॉमर्शियल-घरेलू सिलेंडर लाकर रखे थे। मुखराम द्वारा कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों में बची हुई गैस घरेलू गैस सिलेंडरों में निकाली जा रही थी। इस दौरान घर में सिलेंडर पलटते हुए गैस लीकेज हो गई। गैस लीकेज होते ही पास में जल रहे चूल्हे तक पहुंची गई और आग भभक गई।

■ **कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को घरेलू में खाली करते समय हुआ हादसा**

इसके बाद आग बाकी सिलेंडरों में फैल गई। आग भभकते ही घर में मौजूद पड़ौसी इमरती देवी, संतोष देवी, रोहित झुलस गए। मुखराम खुद भी आग की चपेट में आ गया। जिन्हें आस-पास के लोग सादुलशहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए जहां से इमरती, संतोष व मुखराम की हालत गंभीर होने पर श्रीगंगानगर के सरकारी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं, रोहित मामूली झुलसा है जिसके कारण उसका इलाज कर छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलने पर सादुलशहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

मूंगफली खरीद सैम्पल फेल होने पर आक्रोश

बज्जू, (कासं)। समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद के दौरान किसानों के सैम्पल फेल होने पर विवाद गहरा गया। आक्रोशित किसानों ने बज्जू-रणजीतपुरा सड़क जाम कर दी।

जब सहकारी समिति में 10 किसानों की फसल की सैम्पलिंग की गई। तहसीलदार मदनसिंह यादव के नेतृत्व में हुई इस जांच में 6 किसानों की मूंगफली तय मानकों पर खरी नहीं उतरी, जिसके कारण तुलाई से इनकार कर दिया गया। किसानों के आक्रोशित होने के बाद प्रधान प्रतिनिधि भागीरथ तेतरवाल ने एसडीएम सांवरमल रैगर से बातचीत की। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि राजफेड द्वारा निर्धारित मानकों के अलावा तुलाई संभव नहीं है। बातचीत विफल होने के बाद तेतरवाल के नेतृत्व में किसानों ने बज्जू-रणजीतपुरा सड़क को जाम कर दिया।

खारा में सिरेमिक जोन हटाने पर ग्रामीण-उद्यमी आमने-सामने

बीकानेर, (कासं)। खारा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से हो रहे वायु प्रदूषण के मुद्दे पर ग्रामीण और उद्यमी आमने-सामने आ गए हैं।

उद्यमियों का कहना है कि गांव की आपसी राजनीति के कारण उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में पीओपी फैक्ट्रियों की गैस जहरीली नहीं पाई गई है। उधर ग्रामीण सिरेमिक जोन हटाने पर अड़े हुए हैं। शाम को दोनों पक्षों की बैठक भी हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला। प्रदूषण हटाओ, खारा बचाओ संघर्ष समिति ने गांव को वायु प्रदूषण मुक्त कराने के लिए गांव से सटे सिरेमिक जोन को हटाने पर अड़ गए हैं। उनका कहना है कि यहां एक साथ फैक्ट्रियां चलती हैं, जिससे घना धुआं होता है। इसके अलावा निजी औद्योगिक क्षेत्र में लगी पीओपी सहित अन्य इंडस्ट्रीज पर पॉल्यूशन बोर्ड का कोई अंकुश नहीं है। वहां फैक्ट्रियां 24 घंटे चलाई जा रही है। शाम होने के बाद आसमान धुएं से अट जाता है। सुबह नौ बजे तक ऐसे हालात रहते हैं।

■ **पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में पीओपी फैक्ट्रियों की गैस जहरीली नहीं पाई गई**

गजेसिंह ने बताया कि सिरेमिक जोन की सभी फैक्ट्रियां जब तक बंद नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। खारा गांव में ही रीको से सटे एक निजी औद्योगिक क्षेत्र में सौ से ज्यादा पीओपी की फैक्ट्रियां हैं, जिन पर रीको और पॉल्यूशन बोर्ड का कोई अंकुश नहीं है। उन्होंने बताया कि शाम को उद्यमियों की ओर से कुछ लोग आये थे। हमने कह दिया है कि जिला प्रशासन, रीको और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ रविवार को मीटिंग करेंगे।

बच्चों की परीक्षा को देखते हुए स्कूल बहिष्कार की घोषणा को वापस ले लिया गया है। सरपंच भैरूसिंह सिसोदिया, कन्हैयालाल जोशी, पूर्व सरपंच पूनमाराम मेघवाल, भंवरलाल, कानसिंह, उम्मेद सिंह सांखला, पूर्ण सिंह, सुरेश कुमार पारीक, लक्ष्मण कुमार, परमानंद ओड, रामस्वरूप, हरिसिंह और विक्रम परिहार ने ग्रामीणों से संपर्क कर आंदोलन में एकजुट होने की बात कही।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक :- नियमन/ 2025/ 4956 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक :

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री बृजभूषण सेठी पुत्र श्री श्रीराम सेठी निवासी 2 जी-10 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकॉर्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकॉर्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूमि का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 49 किला नं. 19 में माप 30 इन्टू 50 फीट भूखण्ड संख्या डी-74 नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर	उक्त भूखण्ड का नियमन पट्टा संख्या 2470 दिनांक 30.09.2003 को श्रीमती मधु सिंगला पत्नी श्री विजय कुमार के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री बृजभूषण सेठी द्वारा पंजीकृत बैयनामा दिनांक 15.07.2024 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत न्यास में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में श्री बृजभूषण सेठी पुत्र श्री श्रीराम सेठी निवासी 2 जी-10 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री लीज होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/ उजर/ दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/ हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/ उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या:- SGNR/FY25-26/MUT/1001 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/4949 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 10.12.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री दलीप कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल निवासी श्रीराम कॉलोनी, चक 5 ई छोटी, नाईवाला, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 4 एमएल मुरब्बा नं. 26 किला नं. 5, 6 में माप 30 इंटू 60 फीट भू.सं. 1071, एचए होमलैण्ड सिटी, श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का नियमन पट्टा सं. 9078 दिनांक 29.10.2018 को सुदर्शना पाहवा पत्नी श्री रामस्वरूप पाहवा के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री दलीप कुमार द्वारा पंजीकृत बैयनामा दिनांक 28.10.2025 की प्रति प्रस्तुत कर भूखंड के नामान्तरण हेतु न्यास में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्री दलीप कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल निवासी श्रीराम कॉलोनी, चक 5 ई छोटी, नाईवाला, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री लीज होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/ दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन संख्या :- SGNR/FY25-26/MUT/964 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : नियमन/2025/4960 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक :

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अलीम खान पुत्र श्री सवाई खान निवासी 6 डी-15 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूमि का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 4 एमएल मुरब्बा नं. 43 किला नं. 17 में माप 30 इन्टू 60 फीट भूखण्ड संख्या 736 होमलैण्ड सिटी श्रीगंगानगर	उक्त भूखण्ड का नियमन पट्टा संख्या 6581 दिनांक 03.02.2009 को श्रीमती ज्योति मुंदडा पत्नी श्री संजय प्रकाश मुंदड़ा के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री अलीम खान द्वारा पंजीकृत बैयनामा दिनांक 25.03.2013 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत न्यास में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में श्री अलीम खान पुत्र श्री सवाई खान निवासी 6 डी-15 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री लीज होल्ड पट्टे के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या :- SGNR/FY25-26/MUT/1013 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

सड़क, नाली और बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

बीकानेर, (कासं)। बीकानेर शहर में पिछले काफी समय से सड़क नाली और बिजली जैसी समस्याओं से जूझ रही जनता के लिए आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष मदनगोपाल मेघवाल के नेतृत्व में कुचीलपुरा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया।

जिला अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने कहा कि राजस्थान भाजपा सरकार के दो साल के शासन में बीकानेर की जनता लगातार सड़क, नाली और शुद्ध पेयजल के लिए बिजली की सुचारू आपूर्ति के लिए लगातार प्रशासन से मांग कर रही है लेकिन भाजपा सरकार और बीकानेर पूर्व पश्चिम के दोनों भाजपा विधायक निगम में भाजपा बोर्ड और जनता अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए लाचार नज़र आ रहे हैं। आमजन के जनहित के काम भी नहीं हो रहे हैं जिससे लोगों में रोष है।

बीकानेर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष मदनगोपाल मेघवाल के नेतृत्व में कुचीलपुरा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया।

मदनगोपाल मेघवाल ने कहा कि जनता को उसके मूलभूत सुविधाओं का ना मिलना शासन और प्रशासन की विफलता का परिचायक है आज जिला कांग्रेस एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसमें सुधार ना हुआ तो आने वाले समय में इस सरकार और प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन जनता को साथ लेकर किया जायेगा। पूर्व जिला अध्यक्ष बीकानेर शहर एवं बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे यशपाल गहलोत ने कहा कि भाजपा हमेशा जनता को बरगलाकर वोट लेती है। उसकी सुविधाओं से मुंह फेरना भाजपा की फितरत है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

सोशल मीडिया प्रभारी अकरम अली ने बताया कि विरोध प्रदर्शन में प्रदेश महासचिव जिया उर रहमान आरिफ, ब्लॉक अध्यक्ष आनंद सिंह सोढा, वरिष्ठ कांग्रेसी पन्नालाल मेघवाल, महासचिव आजम अली, करणीसिंह राजपुरोहित, राहुल जादूसंगत, मनोज किराडू, अहमद अली भाटी, सचिव रामनाथ आचार्य, सरदार अमरीक सिंह, ताहिर हसन कादरी, कर्नल शिशुपाल सिंह, पूर्व पार्षद महेन्द्र सिंह बडगुजर, मनोज गहलोत, नितिन वत्सस सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

छात्राओं ने केबल बनाने की प्रक्रिया देखकर समझी

देशनोक, (कासं)। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देशनोक की छात्राओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वावधान में संचालित मानक क्लब द्वारा एक एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। इस विजिट के तहत छात्राओं ने नोखा (बीकानेर) स्थित सारूंडा केबल फैक्ट्री का भ्रमण किया।

मानक क्लब के प्रभारी व्याख्याता सुभाष पंवार ने बताया कि विजिट दल को कार्यवाहक प्रधानाचार्य शिवनारायण गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फैक्ट्री में मानक क्लब के रिसोर्स पर्सन मुकेश मोदी ने छात्राओं को केबल निर्माण की पूरी प्रक्रिया, गुणवत्ता मानक और तकनीकी जानकारी विस्तार से समझाई। छात्राओं ने कच्चे माल से लेकर तैयार केबल तक के हर चरण को उत्सुकता से देखा और समझा। इस दौरान उन्हें उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिली।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : नियोजन/2025/1592 **विज्ञप्ति** दिनांक : 10-12-2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 13/ 14 किला नं. 1, 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23 में भूखण्ड माप 23900 वर्गगज भूमि का उपखण्डाधिकारी (भू.रू.), श्रीगंगानगर द्वारा आवासीय पट्टा संख्या 1274 दिनांक 16.04.1999 द्वारा अध्यक्ष, सेठ गिरधारीलाल बिहाणी सनातन धर्म, शिक्षा ट्रस्ट, श्रीगंगानगर के नाम से जारी है। अक्त आवासीय रूपान्तरित भूखण्ड में से भूखण्ड संख्या A-97-Part-B क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त ऑनलाईन नामान्तरण आदेश क्रमांक SGNR/FY25-26/MUT/820 दिनांक 28.10.2025 द्वारा श्री हरीश कुमार धींगड़ा पुत्र श्री टेकचंद निवासी 8 श्रीराम कॉलोनी, श्रीगंगानगर के नाम से नामान्तरण आदेश जारी है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का आवासीय से वाणिज्यिक भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन किया है। श्रीगंगानगर मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 अनुसार एवं जोनल प्लान अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र का भू-उपयोग मिश्रित हेतु आरक्षित है। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविवि/ 2020 दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां की तालिका संख्या 10 के अनुसार मास्टर प्लान / जोनल प्लान में 18 मीटर व उससे अधिक चौड़ाई की सड़कों के दोनों ओर सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुणा तक मिश्रित भू उपयोग सीधे ही अनुमत है। राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010, अधिसूचना दिनांक 28.10.2010, दिनांक 24.02.2021, दिनांक 06.11.2024 एवं अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations) के अनुसार पट्टे/लीजडीड में उल्लेखित उपयोग से चाहा गया परिवर्तित उपयोग दोनों ही मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान के भू-उपयोग में (DPCR) के अनुसार अनुज्ञेय (परमिटेड) उपयोग में आने एवं तकनीकी मापदण्ड पूर्ण होने के कारण विभागीय अधिसूचनाओं के तहत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही न्यास कार्यालय में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का आवासीय रूपान्तरित से मिश्रित (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को कोई आपति हो तो वह समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में अपनी आपति लिखित में मय दस्तावेज सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। 15 दिवस के बाद प्राप्त आपतियों पर विचार नहीं किया जावेगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/4951 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 10.12.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती गीता गिदड़ पत्नी श्री विक्रम गिदड़ निवासी 150 गांधी नगर, गली नं. 4, श्रीगंगानगर एवं श्रीमती मीनू जग्गा पत्नी श्री मनोज जग्गा निवासी नत्थूराम स्ट्रीट, मुक्तसर, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 41/44 किला नं. 9, 12 में माप 12.6 इंटू 60 फीट में भू.सं. ए-146 पूर्वी हिस्सा, सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का नियमन पट्टा सं. 8668 दिनांक 25.7.2018 को श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री सुभाष चन्द्र छाबड़ा के नाम जारी किया हुआ है।	श्रीमती कौशल्या देवी की मृत्यु उपरांत श्रीमती गीता गिदड़ एवं श्रीमती मीनू जग्गा द्वारा सदस्यता प्रमाण पत्र एवं श्रीमती कौशल्या देवी की मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखंड का ऑनलाईन नामान्तरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्रीमती गीता गिदड़ पत्नी श्री विक्रम गिदड़ निवासी 150 गांधी नगर, गली नं. 4, श्रीगंगानगर एवं श्रीमती मीनू जग्गा पत्नी श्री मनोज जग्गा निवासी नत्थूराम स्ट्रीट, मुक्तसर, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री लीज होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/ दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन संख्या :- SGNR/FY25-26/MUT/1039 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर